महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में,

1— सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

2— उड़नदस्ता अधिकारी,
आई0एस0बी0टी0,
परिवहन विभाग हरियाणा,
दिल्ली / चण्डीगढ़।

क्रमांक 3187-3211 /टी0आई0–5
दिनांक 4/7/13

विषयः— शहरी बस सेवा के किराये में बढ़ौत्री करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा / सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को हरियाणा राज्य में जंहा सिटी बस सेवा चलाई जा रही है, उन सिटी बस सेवाओं के किराये की दरें जो आदेश क्रमाक 22/38/2012–2टी (I) दिनांक 31 मई 2013 अनुसार अधिसूचित की गई थी को सैधान्तिक रुप में उन सभी पर तुरन्त प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किये है।

अतः आप को निर्देश दिये जाते है कि उक्त अधिसूचना अनुसार किराया लागू करना सुनिश्चित कर, इस कार्यालय को सूचित करें।

सलंग्न / आदेशों की प्रति

कृतेः महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,चण्डीगढ़।
4/7/13

पृ0 क्र0 3212-13 /टी0आई0–5 दिनांक 4/7/13

1— इस की एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

2— एक प्रति परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

कृतेः महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,चण्डीगढ़।
4/7/13

हरियाणा सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 21 जून, 2013

संख्या 22/38/2012–2टी(I).– मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59), की धारा 67 की उपधारा(1) के खण्ड (i) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा/सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को हरियाणा राज्य में जहां सिटी बस सेवा चलाई जा रही है, उन सिटी बस सेवाओं के किराये की दरें जो आदेश क्रमांक 22/38/2012–2टी(I), दिनांक 31 मई, 2013 अनुसार अधिसूचित की गई थी, को सैधान्तिक रूप में उन सभी पर तुरन्त प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी करते हैं।

अरुण कुमार
सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग ।